खंड 6 संख्या 13

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 2—कार्यवाही--प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 7 अप्रील, 1982

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान कार्य:

अध्यादेश की अस्वीकृति के संबन्ध में संकल्प 1—6
बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अध्यादेश, 1982 (अस्वीकृत)।

सरकारी विधेयक:

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड विधेयक, 1982 (वि० स० विधेयक सं० 12/82) (सभा द्वारा यथासंशोधित स्वीकृत)। 7—38
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (अस्वीकृत) .. .. 38—41

शून्य काल की चर्चाएं—

(क) बेगूसराय में बिजली की आपूर्ति .. 41
(ख) पेयजल की समस्या 41-42
(ग) दारोगा द्वारा अत्याचार 42
(घ) उर्दू शिक्षक की बहाली 42-43
(ङ) श्री चन्द्रदेव शर्मा के विरुद्ध आवश्यक कारंवाई .. 43
(च) साम्प्रदायिक दंगा से पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता। 44-45

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य:

(अ) किसानों द्वारा आन्दोलन के फलस्वरूप गोलीकांड 46—49
(ब) सर्वश्री मातू सिंह एवं गिरीश चौधरी का अपहरण 50-52
कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत) .. 52—54

है। साथ ही हमारी सरकार ने जंगली जानवर से जिनका प्राण जायेगा या फसल नुकसान होगी उसे मुआवजा देने की भी योजना बनायी।

विधान कार्य: सरकारी विधेयक; बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 (वि०स०वि०स० 13/82)

श्री राम विलास मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 14 के अधीन प्रस्तावित धारा 50 की पंक्ति तीन में शब्द "मुखिया" के स्थान पर शब्द "सरपंच और पंचों" रखे जायं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

विधेयक के खंड 14 के अधीन प्रस्तावित धारा 50 की पंक्ति तीन में शब्द "मुखिया" के स्थान पर शब्द "सरपंच और पंचों" रखे जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"खंड 14 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 14 विधेयक का अंग बना।"

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"विधेयक के खंड 15 के अधीन धारा 52 की प्रस्तावित उप-धारा (1) एवं इसके परन्तुक विलोपित किये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें ये सरपंच को हटाने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, चुने हुये प्रतिनिधि को, जिसको पूरी जनता चुनी, उसको हटाने का अधिकार कलक्टर को नहीं दिया जाना चाहिये, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को मेरे संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री शंकर दयाल सिंह—शो-कॉज पूछना जरूरी है, इसलिये इसको रखा गया है।

माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"विधेयक के खंड 15 के अधीन धारा 52 की प्रस्तावित उप-धारा (1) एवं इसके परन्तुक विलोपित किये जायं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"खंड 15 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 15 विधेयक का अंग बना।"

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

विधेयक के खंड 16 के अधीन प्रस्तावित धारा 53 की पंक्ति चार एवं पांच में शब्द "के या उस प्रखंड की प्रखंड विकास समिति को" विलोपित किये जायं।

मंत्री जी पहले ही मान लिये हैं कि प्रखण्ड विकास समिति नहीं है, पंचायत समिति है, जब पंचायत समिति पूरे बिहार राज्य में है तो इस ऐक्ट में विकास समिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय, इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री राम विलास मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

विधेयक के खंड 16 की प्रस्तावित धारा 53 के बाद निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाय।

"53-क. सरपंच, उप-सरपंच और पंचों की पदावधि समाप्ति और त्याग-पत्र के बाद तीन महीने के अन्दर निर्वाचन करा दिया जायेगा।"

श्री शंकर दयाल सिंह (मंत्री)—इसकी आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

विधेयक के खंड 16 के अधीन प्रस्तावित धारा 53 की पंक्ति चार एवं पांच में शब्द "कि या उस प्रखंड की प्रखंड विकास समिति को" विलोपित किये जायं।

विधेयक के खंड 16 की प्रस्तावित धारा 53 के बाद निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाय:—

"53-क. सरपंच, उप सरपंच और पंचों की पदावधि समाप्ति और त्याग-पत्र के बाद तीन महीने के अन्दर निर्वाचन करा दिया जायेगा।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड 16 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 16 विधेयक का अंग बना।

श्री रामलखण राम "रमण"—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

"विधेयक के खंड 17 के अधीन प्रस्तावित धारा 77 की पंक्ति दो से पंक्ति पांच तक, में शब्द 'जो ग्राम कचहरी ···· का अभिरक्षक होगा' के स्थान पर शब्द "पंचायत की सारी सम्पति का अभिरक्षक मुखिया होगा" रखे जायं।"

मैं इसलिये कह रहा हूं कि पहले यह अधिकार था मुखिया को और उसके कैबिनेट के लोग एक आदमी को चुनते थे, उनके पास पासबुक रहता था बैंक में, लेकिन इसमें ग्राम सेवक को प्रावधान किया गया है। इसलिये हमने यह संशोधन दिया है।

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

विधेयक के खंड 17 के अधीन प्रस्तावित धारा 77 के परन्तुक की पंक्ति दो में शब्द "करेगी" के स्थान पर शब्द "करेगा" रखे जाय।

मंत्री महोदय, इस संशोधन को जरूर मान जायेंगे, चूंकि इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, शब्द "करेगी" हो गया जब कि यहां पर शब्द "करेगा" होना चाहिये।

श्री टीकाराम मांझी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:--

विधेयक के खंड 17 के अधीन प्रस्तावित धारा 77 के परन्तुक की अन्तिम पंक्ति में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं:--

"और ऐसे सहायक पंचायत सेवक का कार्यालय पांच वर्ष होगा।"

श्री शंकर दयाल सिंह--माननीय सदस्य श्री तुलसी सिंह ने जो संशोधन पेश किया है, उसमें कोई खास बात नहीं है, प्रिन्टींग मिस्टेक है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड 17 के अधीन प्रस्तावित धारा 77 की पंक्ति दो से पंक्ति पांच तक में शब्द 'जो ग्राम कचहरी ... का अभिरक्षक होगा' के स्थान पर शब्द 'पंचायत की सारी सम्पत्ति का अभिरक्षक मुखिया होगा', 'रखे जांय।'

"विधेयक के खंड 17 के अधीन प्रस्तावित धारा 77 के परन्तुक की पंक्ति दो में शब्द 'करेगी' के स्थान पर शब्द 'करेगा' रखे जांय।"

विधेयक के खंड 17 के अधीन प्रस्तावित धारा 77 के परन्तुक की अंतिम पंक्ति में निम्नलिखित शब्द जोड़े जांय :

"और ऐसे सहायक पंचायत सेवक का कार्यकाल पांच वर्ष होगा"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 17 से 21 इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 17 से 21 विधेयक के अंग बनें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

'प्रस्तावना' इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

'प्रस्तावना' विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम विधेयक का अंग बना ।

श्री शंकर दयाल सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1982 स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1982 स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निवेदन ।

अध्यक्ष—29 निवेदन आये हैं, जिन्हें सभा की सहमति से संबंधित विभागों में भेज दिये जायेंगे ।

सदस्यगण—हां, भेज दिये जायें ।

सभा बृहस्पतिवार तिथि 8 अप्रील, 1982 के 9 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गयी ।

पटना:
तिथि 7 अप्रील, 1982

रामनरेश ठाकुर,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

दैनिक-निबंध

(बुधवार, दिनांक 7 अप्रील, 1982 ।)

पृष्ठ

विधान-कार्य :

1. अध्यादेश-अस्वीकृत संबंधी संकल्प :

सभा-सदस्य, श्री जनार्दन तिवारी ने निम्न प्रस्ताव किया कि : 1—7

> यह सभा बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अध्यादेश, 1982 को अस्वीकृत करती है ।

इस पर वाद-विवाद में निम्नांकित सभा-सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री जनार्दन तिवारी,
2. श्री रामाश्रय राय, तथा
3. श्री बुद्धदेव सिंह, नागरिक विकास मंत्री ।

प्रभारी मंत्री के सरकारी उत्तर के उपरान्त प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

सरकारी विधेयक :

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड विधेयक, 1982 । 7—38

नागरिक विकास मंत्री श्री बुद्धदेव सिंह ने सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया ।

इसके बाद प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस क्रम में श्री जनार्दन तिवारी और रामलखण राम "रमण" सभा-सदस्यों ने क्रमशः संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति में विधेयक को विचारार्थ सौंपने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये और अपने विचार व्यक्त किये ।

प्रभारी मंत्री के सरकारी उत्तर के उपरान्त संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति में विधेयक को विचारार्थ सौंपने के प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुए।

उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंडशः विचार के क्रम में सभा सदस्य श्री रमेन्द्र कुमार के प्रस्ताव पर खंड-7 और खंड-52, सभा द्वारा यथा-संशोधित, इस विधेयक के अंग बने। साथ ही, शेष सभी खंड, प्रस्तावना और नाम इस विधेयक के अंग बने।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न खंडों में प्रस्तावित शेष सभी संशोधनों में से एक प्रस्तुत नहीं किया गया और शेष सभी सभा द्वारा अस्वीकृत हुए।

खंडशः विचारोपरान्त, प्रभारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि : सभा द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त विधेयक स्वीकृत हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित सभा-सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री रमेन्द्र कुमार,
2. श्री रामराज प्रसाद सिंह,
3. श्री रामपरीक्षण साहु,
4. श्री महेन्द्र नारायण झा (बाबूबरही),
5. श्री शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव,
6. श्री फकीरचन्द राम,
7. श्री रामलखण राम ''रमण'
8. श्री कृष्णानन्द झा,
9. श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव,
10. श्री अकलू राम महतो,
11. श्री राममंगल मिश्र, तथा
12. श्री सूर्यनारायण सिंह यादव।

प्रभारी नागरिक विकास मंत्री श्री बुद्धदेव सिंह के सरकारी उत्तर के उपरान्त उपर्युक्त विधेयक, सभा द्वारा यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं :

1. दिनांक 5 अप्रील 1982 को शाम 4 बजे मधुबनी जिला 38—41
के हरलाखी प्रखंड के महादेवपट्टी गांव में भूस्वामियों द्वारा हरिजनों की बस्तियों को लूट जाने, मारपीट करने तथा आग लगाकर 40 घर जला देने संबंधी सर्वश्री रामदेव वर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर सिंह, टीका राम मांझी, रमेन्द्र कुमार एवं तुलसी रजक, सभा-सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष महोदय द्वारा अमान्य घोषित की गई । किन्तु, विषय की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सरकार इस विषय पर सदन में वक्तव्य दे ।
2. दिनांक 5 अप्रील 1982 को श्री सुदिष्ट नारायण सिंह, आई० जी० (होम गार्ड) के ऑफिस में राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा छापा मारकर कागजातों को जप्त करने संबंधी सर्वश्री राजकुमार पूर्वे, गणेश शंकर विद्यार्थी, भुनेश्वर प्रसाद महतो, मुंशीलाल राय, रामपरीक्षण साहु एवं तुलसी सिंह, सभा-सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष महोदय द्वारा अमान्य घोषित की गई ।

नेता, विरोधी दल, श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स० द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि चलते सत्र में सरकार द्वारा सदन में इस विषय पर वक्तव्य दिया जायगा ।

3. श्री रामदेव सिंह यादव एवं अन्य सभा-सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने यह सूचना दी कि इसमें वर्णित विषय पर नियम 105 के अन्तर्गत विचार किया जायगा ।

शून्यकाल की चर्चाएं : पृष्ठ

(क) बेगूसराय में बिजली की आपूर्ति । .. 41

(ख) पेयजल की समस्या । 41-42

(ग) दारोगा द्वारा अत्याचार । 42

(घ) उर्दू शिक्षक की बहाली । 42-43

(ङ) श्री चन्द्रदेव शर्मा के विरूद्ध आवश्यक कारंवाई । 43

(च) साम्प्रदायिक दंगा से पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता । 44-45

4. अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकारी वक्तव्य :

(1) गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित सीतामढ़ी जिलान्तगंत रीगा में गन्ना की मूल्य-वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे किसान आन्दोलन के क्रम में हुए गोली काण्ड से संबंधित हत्यारें और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई करने तथा किसानों पर चलाये जा रहे झूठे मुकदमों को वापस लेने संबंधी श्री कर्पूरी ठाकुर एवं अन्य पांच सभा-सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पर आज संसदीय कार्य मंत्री श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया । 46--49

(2) गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित बेगूसराय जिलान्तगंत मटिहानी थाना के श्री भातू सिंह और श्री गिरीश चौधरी को अपहरण कर उनकी जघन्य हत्या से उत्पन्न स्थिति, आरक्षी महानिरीक्षक से घटना की जांच कराने तथा श्री अधिक यादव, अपराधकर्मी के गिरोह को समाप्त कर देने की व्यवस्था संबंधी श्री प्रमोद कुमार शर्मा एवं पांच सभा-सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पर आज संसदीय कार्य मंत्री श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया । 50—52

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :

विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स० ने प्रस्ताव किया कि : 52—54

"दिनांक 7 अप्रील 1982 को कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो।"

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। सभा ने सहमति प्रदान की।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उन पर सरकारी वक्तव्य :

3. गृह (विशेष) विभाग से संबंधित पूर्णिया जिलान्तर्गत किशनगंज नगर में असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां के चार युवकों पर किये गये घातक हमला से उत्पन्न स्थिति तथा इस समस्या का निदान करने संबंधी श्री इन्दर सिंह नामधारी एवं अन्य दो सभा-सदस्यों की ध्यानाकर्षण-सूचना पर आज संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार को ओर से वक्तव्य दिया। 55—59

4. गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित औरंगाबाद जिलान्तर्गत मुफस्सिल थाना के पोइवा ग्राम के श्री गोरखनाथ सिंह के प्रति औरंगाबाद नगर थाना के प्रभारी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति, थाना प्रभारी का स्थानान्तरण और उनके विरूद्ध कारवाई करने संबंधी श्री संकटेश्वर सिंह, सभा-सदस्य की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना दी कि जांच कराई जा रही है। माननीय सदस्य को सरकार द्वारा तथ्य से अवगत करा दिया जायगा।

5. लोक निर्माण विभाग से संबंधित श्री बालिक राम एवं अन्य चार सभा-सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पर

पृष्ठ

सरकारी वक्तव्य तिथि 10 अप्रील, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

6 गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित श्री राजमंगल मिश्र एवं अन्य पांच सभा-सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य तिथि 10 अप्रील, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

7. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग संबंधित सर्वश्री लालू प्रसाद एवं राम जी प्रसाद महतो, सभा-सदस्यों की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य तिथि 10 अप्रील, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

8. सर्वश्री भोला सिंह एवं कर्पूरी ठाकुर तथा अन्य आठ सभा-सदस्यों द्वारा सूचित पलामू वन निगम, गढ़वा-2 के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप, उनकी मुअत्तली तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी सूचना की ओर श्री कर्पूरी ठाकुर, विरोधी दल नेता ने सरकार (वन विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया। 59—60

इस पर सरकारी वक्तव्य तिथि 10 अप्रील, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

9. सभा-सदस्य श्री राज कुमार पूर्वे ने विद्युत विभाग में सृजित 48 सहायक विद्युत अभियंताओं और 71 कनीय विद्युत अभियंताओं को एक ही साथ नियुक्त करने, तथा साथ ही, पहले से रिक्त 292 सहायक विद्युत अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में सरकार (विद्युत विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया। 60—64

इस पर सरकारी वक्तव्य तिथि 10 अप्रील, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

पृष्ठ

सभा-मेज पर रखे गये कागजात एवं तत्संबंधी प्रस्ताव 64-65

मुख्य मंत्री, डा० जगन्नाथ मिश्र ने 1979-80 का विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1979-80 (सिविल) को सभा के समक्ष रखा।

साथ ही, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :

उक्त प्रतिवेदन विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिये शीघ्र प्राप्त हो।

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

8. प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन : 65

सभापति, श्री महावीर चौधरी, स० वि० स० ने समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा के समक्ष उपस्थापित की।

9. विधान-कार्य :

(3) अध्यादेश-अस्वीकृति संबंधी संकल्प :

सभा-सदस्य श्री जनार्दन तिवारी ने प्रस्ताव किया कि : 65—68

यह सभा बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1982 को अस्वीकृत करती है।

इस पर, वाद-विवाद में निम्नांकित सभा-सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री जनार्दन तिवारी—
2. श्री रामाश्रय राय,
3. श्री बालिक राम,तथा
4. श्री अब्दुल गफूर।

प्रभारी मंत्री श्री शंकर दयाल सिंह के सरकारी उत्तर के उपरान्त प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

पृष्ठ

(4) सरकारी विधेयक :–

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982। 69—95

प्रभारी मंत्री श्री शंकर दयाल सिंह ने सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया।

इसके बाद प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस क्रम में सर्वश्री रामलखन राम "रमण", श्री जनार्दन तिवारी एवं रामविलास मिश्र, सभा-सदस्यों ने विधेयक को क्रमशः जनमत जानने के लिये परिचालित करने तथा विचारार्थ संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति में सौंपने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने-अपने विचार व्यक्त किये। प्रभारी मंत्री के सरकारी उत्तर के उपरान्त उक्त तीनों प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुए।

उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंडशः विचार के क्रम में खंड 2 से खंड 13 इस विधेयक के अंग बने।

उल्लेखनीय है कि खंड 5 से खंड 13 में प्रस्तावित संशोधनों में से एक सभा द्वारा 57 के विरुद्ध 65 मतों से अस्वीकृत हुआ, सात प्रस्तुत नहीं किये गये तथा चौबीस सभा द्वारा अस्वीकृत हुए।

उपर्युक्त विधेयक पर खंडशः विचार जारी रहा।

10. सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :

सभा-सदस्य श्री राजकुमार पूर्वे ने बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत विमर्श का निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि : 95—127

पृष्ठ

"यह सदन छोटानागपुर एवं संथालपरगना की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श करें ।"

उक्त विमर्श के प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित सभा-सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री राज कुमार पूर्वे
2. श्री देवेन्द्रनाथ चम्पिया
3. श्री अकलू राम महतो
4. श्री राम रतन राम
5. श्री यमुना सिंह
6. श्री थोमस हांसदा
7. श्री सूरज मंडल
8. श्री रघुनन्दन प्रसाद
9. श्री सुबोध कान्त सहाय
10. श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरुई
11. श्रीमती रमणिका गुप्ता
12. श्री हेमन्त कुमार झा
13. श्री ध्रुव भगत, तथा
14. श्री करमचन्द भगत, शिक्षा मंत्री

उपर्युक्त विमर्श के प्रस्ताव पर वाद-विवाद जारी रहा ।

11. सरकारी विधेयक :

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 पर खंडशः विचार : 127—131

[उल्लेखनीय है कि पूर्व में ही खंडशः विचार के क्रम में खंड-2 से खंड-13 इस विधेयक के अंग बने ।]

पुनः खंड-14 से खंड 21 खंड 1, प्रस्तावना और नाम इस विधेयक के अंग बने ।

पृष्ठ

खंड 14 से खंड 17 में प्रस्तावित संशोधनों में से सात सभा द्वारा अस्वीकृत हुए और तीन प्रस्तुत नहीं किये गये ।

खंडशः विचारोपरान्त, प्रभारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :

"उपर्युक्त विधेयक सभा द्वारा स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

उपर्युक्त विधेयक सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

12. निवेदनों के संबंध में सूचना :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में सूचना दी कि आज के लिये स्वीकृत उनतीस (29) निवेदन सभा की सहमति से संबंधित विभागों में भेज दिये जायेंगे । 131

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

वि० स० मु० (एल० ए०) 95—III—600—28-7-1984—रोश.